FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

रेवतसिंह .... बनाम .... भीमसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा .... राज. आदेश .... नं. .... 234/2020 .... सन् .... 2020 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम बिश्नोई ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 07/09/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
07/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील फर्म तामील अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 14/09/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
14/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित/ जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 15:38:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

रोका रोक आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों
खेत के मध्य जो कोठे व मोरे आई हुई थी और
वर्तमान में आरोपियों की जगह ले लिया गई है
जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं
का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिससे प्रार्थी व
विपक्षीगणों के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर
आपस में तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने
खेत की सीमाओं का ज्ञान करने हेतु नेपमवली
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमवली
आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमवली आदेश
किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी
का नेपमवली आवेदन स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर
जाता है व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को
सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया
जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से
प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमवली मौके
पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट
प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर (SDO)
गिड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 15:38:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/ 615   दिनांक :– 14-09-2020

राजस्व आवेदन संख्या –234/2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री रेवन्तसिंह पुत्र रूपसिंह
वगैरा 5 जाति–राजपूत
निवासी–गोगासर, गिड़ा
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

श्री भीमसिंह पुत्र लालसिंह
वगैरा 32, निवासी–गोगासर, गिड़ा
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–गोगासर, पटवार मण्डल–गिड़ा, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 388, 390 रकबा क्रमशः 92.09, 82.04 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलेक्टर (SDM)
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :– 14-09-2020

क्रमांक/आवेदन/2020/ 616 to 620

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री रेवन्तसिंह पुत्र रूपसिंह वगैरा 5।
4. विप्रार्थीगण श्री भीमसिंह पुत्र लालसिंह वगैरा 32।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

14.9.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 15:38:39 IST
Reason: SelfAttested